न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारीः— अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

प्र.सं.— 75/2019
सी.सी.एम.एस. : 2019/00311

1. कान्ता देवी पत्नी हजारीराम जाति मेघवाल निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर हाल नोहर जिला हनुमानगढ़

—प्रार्थी

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. ओमप्रकाश
3. मनसुख
4. इमीचन्द
5. देवीलाल
6. इन्द्रजीत
7. कलावती देवी
8. गुड्डी देवी
9. सावित्री देवी
10. संतलाल

(क्रमांक 2 से 10) संतान रामकरण जाति नाई निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.एक्ट

उपस्थितिः—

1. श्री जितेन्द्र प्रसाद सोनी, वकील प्रार्थी
2. श्री अजय धारणियां, वकील अप्रार्थी सं. 6—10

—: निर्णय :—

दिनांक : 23.02.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी कृषि भूमि चक 26 पीएस बी के मु.नं. 41 प.नं. 223/286 के कि.नं. 9, 13, 17/1, 18 व कि.नं. 17/2, 23, 24, 25 की कुल 7 बीघा भूमि में आवागमन के लिए अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 26 पीएस बी के मु.नं. 41 प.नं. 223/286 किला नं. 2 व 12 में से 1—1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट मंगवाई गयी। अप्रार्थी सं. 1 ता 5 व 7 ता 9 के विरूद्ध बाद नोटिस तामील हाजिर नहीं आने के कारण दिनांक 27.10.20 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी सं. 6 व 10 ने जरिए अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा मिथ्या आधारों पर पेश किया है, प्रार्थीया की रास्ता की मांग अवैधानिक हैं क्योंकि प्रार्थीया के मु.नं. 41 के कि.नं. 25 तक पड़ौसी दक्षिणी पासा के कि.नं. 5 तक रास्ता चालू हैं तथा प्रार्थीया को इस रकबा की बजाय मु.नं. 41 के कि.नं. 1 व 10 में से एक साईड में से रास्ता की मांग की जानी चाहिए थी। प्रार्थीया के पास पर्याप्त विकल्प हैं। प्रार्थी द्वारा जिन किलाजात में रास्ता की मांग की है, वह अवैधानिक हैं। तथा मुरब्बा के बीच में से हैं। प्रार्थीया द्वारा गलत तौर पर अप्रार्थीगण को परेशान करने लिए प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

रिपोर्ट तहसीलदार क्रमांक/राजस्व/2021/18 दिनांक 06.01.2021 प्राप्त हुई। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थीया को अपने [illegible] स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं हैं। प्रार्थीया अपने खेत चक 26 पीएसबी के मु.नं. 41 कि.नं. [illegible] स्वीकृत शुदा से इसी मु.नं. 41 के कि.नं. 2 के पूर्व दिशा में 1[illegible] पूर्वी कोना में 15X15 वर्गफुट यानि 0.002है. रास्ता [illegible] कर सकेगी। यही निकदवास हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.17 12:27:59 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने [illegible]नी बहस में कथन किया प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन

अर्पिता
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

किया कि प्रार्थीया के पास अपनी भूमि में आने जाने हेतु कि.नं. 1 व 10 में से होकर रास्ता स्वीकार करने पर मार्ग उपलब्ध हो सकता हैं। प्रार्थना पत्र केवल अप्रार्थीगण को परेशान करने के उद्देश्य से पेश किया गया हैं। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं हैं। अतः प्रार्थीया की रास्ते की आवश्यक्ता अत्यांतिक आवश्यक्ता की श्रेणी में आती हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार चक 26 पीएसबी के मु.नं. 41 के कि.नं. 2 के पूर्व दिशा में 1 बिस्वा यानि 0.013है. कि.नं. 12 में उतरी पूर्वी कोना में 15X15 वर्गफुट यानि 0.002है. गै.मु.रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। प्रार्थीया अप्रार्थीगण को रास्ता में आई भूमि के बदले मुआवजा के तौर रास्ता में आई भूमि की डीएलसी दर की दो गुणा राशी अदा करेगी। तहसीलदार रायसिंहनगर प्रार्थीया से मुआवजा राशी जमा कर नियमानुसार अप्रार्थीगण को उनके हिस्सा अनुसार भुगतान करें तथा स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.17 12:27:59 IST
Reason: SelfAttested

अर्पिता

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner